निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :— 06/2021
दायरा दिनांक :— 27.01.2021
निर्णय दिनांक :— 12.5.22

उनवान

1. भवरसिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह जाति जाट निवासी हीकड तहसील व जिला बारां।
2. विजय सिंह पुत्र रणवीर सिंह जाति जाट निवासी हीकड़ तहसील व जिला बारां।

बनाम

1. हरिबल्लभ पुत्र श्री रामदयाल जाति वेष्णव निवासी हीकड़ तहसील व जिला बारां।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बारां।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक :— 12.5.22

अभिभाषक उपस्थित :— 1. श्री ओम भारद्वाज — वादी
2 श्री चेनसिंह सिरोहिया— प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया। कि वाके माल ग्राम हीकड पटवार हल्का पाठेडा तहसील बारां जिला बारां राजस्थान में वर्तमान खाता संख्या 104 पुराना 98 में वर्णित ख0नं0 298 रकबा 0.22 है0, ख0नं0 299 रकबा 0.12 है0 ख0नं0 305 रकबा 0.05 है0 ख0नं0 306 रकबा 0.66 है0 ख0नं0 696/296 रकबा 0.52 है0 कुल 5 किता कुल रकबा 1.57 है0 स्थित है। तथा इसी प्रकार ग्राम हीकड पटवार हल्का पाठेडा तहसील व जिला बारां में खाता संख्या 178 पुराना 98 में वर्णित ख0नं0 296 रकबा 0.10 है0 व ख0नं0 297 रकबा 0.22 है0 ख0नं0 302 रकबा 0.65 है0 ख0नं0 341 रकबा 0.06 है0 ख0नं0 342 रकबा 0.14 है0 ख0नं0 343 रकबा 0.03 है0 ख0नं0 344 रकबा 0.04 है0 ख0नं0 345 रकबा 0.20 है0 ख0नं0 695/299 की रकबा 0.12 है0 स्थित है।

उपरोक्त वर्णित आराजियात प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात है उक्त आराजियात की व फसल संरक्षण के लिये वादीगण द्वारा उपरोक्त आराजियात पर पत्थर का अस्थायी कोट निर्माण किया हुआ है जिससे प्रार्थीगण के खातेदारी की आराजियात पर बना हुआ है। उक्त आराजियात पर जाने के लिये प्रार्थीगण ख0नं0 299 व ख0नं0 695/299 जो कि प्रार्थीगण के खातेदारी में गैर मु0 रास्ते के रूप में दर्ज है में से हौकर अपनी आराजियात पर आते [illegible] परन्तु अप्रार्थी कमांक 1 द्वारा उक्त रास्ते को जबरन पंचायत का बता[illegible] आमादा है जिसका उसे कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:42:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण अपनी आराजियात में आने जाने हेतु अपने खाते में स्थित रास्ते का उपयोग करते चले आ रहे है प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के सामने शिव चबूतरा पडता है वहा पर अप्रार्थी कमांक 1 का मकान है जिसका दरवाजा उसने प्रार्थीगण की आराजियात की और खोल लिया। तथा जबरदस्ती अपने जानवरों को बांधने लग गया। अप्रार्थी कमांक 1 गांव का प्रभावशाली व राजनैतिक व्यक्ति है। तथा अपनी ताकत के दम पर जबरन प्रार्थीगण की आराजियात में बने हुए अस्थायी पत्थर के कोट को हटाने पर आमादा है इस कारण प्रार्थीगण अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के वैधानिक अधिकार एवं नालिशी है।

प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण ने ठोस तथ्यों पर आधारित करवाया है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है यदि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की जमीन में लगे पत्थरों के कोट को हटा दिया गया व रास्ते को अवरूद्ध कर दिया गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं है इसलिए ता फैसला वाद पत्र प्रार्थीगण के पक्ष में व अप्रार्थी कमांक 1 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवायी जाना विधिसंगत एवं न्यायहित में होगा।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी कम 1 की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम हीकड सम्वत 2071–74 खाता सं0 104, नकल नक्शा ट्रेस, नकल जमाबन्दी ग्राम हीकड सम्वत 2071–74 खाता सं0 178, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम हीकड पेश किया गया।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम हीकड में स्थित है जो प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है विवादित आराजी की फसल संरक्षण के लिए प्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी पर पत्थर का कोट कर रखा है। जो प्रार्थी के खातेदारी पर होकर बना हुआ है। खातेदारी की जमीन पर गैर मु0 रास्ता बना हुआ है जिससे होकर प्रार्थी अपनी आराजी पर आता जाता है अप्रार्थी उक्त रास्ते को पंचायत का बताते हुए पत्थर का कोट हटाने पर अमादा है ये लोग सरकारी जमीन पर अतिकमण करना चाहते है। तथा मेरे रास्ते को रोकने का प्रयास करते है। यदि अप्रार्थी सरकारी जमीन पर कब्जा कर मेरा रास्ता रोक दिया है। प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति किया जाना संभव नहीं है प्रथम दृष्टया प्रार्थना पत्र प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे तथा अप्रार्थी गण को ताफैसला वाद पाबन्द किया जावे।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थीगण ने रास्ता रोक दिया है प्रार्थीगण ने भूमि के चारा तरफ कोट कर दिया है अप्रार्थी के मकान का रास्ता सरकारी भूमि में से है। प्रार्थी द्वारा टीआई [illegible] है। अप्रार्थी का रास्ता बन्द कर दिया है प्रार्थीगण ने पहले को[illegible] बाद सरकारी सरकारी रास्ते मे होकर कोट का निर्माण कर रहा है। [illegible] की रिपोर्ट पेश की है। प्रार्थीगण अप्रार्थी के रास्ते को अवरूद्ध न करे। प्रार्थी का प्रार्थ[illegible] पत्र खारिज किया जावे। अप्रार्थी द्वारा भूमि व फसल के सरंक्षण हेतु पुराना कोट बना रखा है। कोट के आगे गे0 मु0 रास्ता है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:42:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

पुराने कोट से 10–15 फुट आगे गे0 मु0 रास्ते पर प्रार्थीगण द्वारा जबरन पत्थर डाल कर कोट का निर्माण करने का प्रयास कर रहा है। अप्रार्थी के मकान का बना हुआ रास्ता अवरूद्ध हो गया है। अन्य लोगो को भी उक्त रास्ता अवरूद्ध हो जाने से भारी असुविधा हो रही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम हीकड सम्वत 2071–74 खाता सं0 104 एवं खाता सं0 178 के अनुसार विवादित आराजी प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी प्रार्थी गण के खातेदारी में दर्ज है। सरपंच ग्राम पंचायत पाठेडा द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 23.04.2021 के अनुसार प्रार्थी हरिबल्लभ पुत्र रामदयाल के मकान के बगल से जो रास्ता जाता है। वह जलवा पूजन का रास्ता है और जब से गाव बसा था तब से आज तक उक्त रास्ते से होकर मन्दिर चतुर्भुज नाथ जी के विमान यात्रा के पूजन हेतु उक्त रास्ते का उपयोग किया जाता रहा है। उक्त रास्ता नदी के तट तक जाता है। इस तट पर ग्राम पंचायत द्वारा लगभग 15 वर्ष पूर्व में घाट का निर्माण करवाया था। लेकिन श्री भंवरसिंह चौधरी पुत्र बहादुरसिंह द्वारा उक्त रास्ते पर पत्थर के कोट करके रास्ते को अवरूद्ध कर दिया गया है। जिससे तट पर आने जाने का रास्ता बन्द हो गया है। जिस कारण आम जनता को उक्त रास्ते का उपयोग करने में परेशानी आ रही है। तथा उक्त रास्ते के समीप भी हरिबल्लभ पुत्र रामदयाल की गाये जो कि इनके मकान के पीछे बंधती थी जो कि रास्ता बन्द हो जाने के कारण उनका (गायों का) आना जाना भी बन्द हो गया है तथा पशुओं के चारा पानी देने में भी पशुपालकों को परेशानी का सामना करना पड रहा है। इससे यह साबित होता है कि प्रार्थी द्वारा पुराने कोट के कुछ दुर दूसरा नया कोट का निर्माण कर रहा है। जिससे अप्रार्थी व आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरपंच द्वारा भी प्रार्थी द्वारा नया कोट निर्माण करना बताया है। प्रार्थी जमीन की आड में रास्ता अवरूद्ध कर रहा है। जबकि उसका कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी द्वारा गै0मु0रास्ता अपनी भूमि से होकर बताया है। परन्तु प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य व रिकॉर्ड पेश नहीं किया जिससे प्रार्थी की भूमि होकर गै0मु0रास्ता दर्ज हो। अप्रार्थी के मकान का ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया है जिस पर मकान बना हुआ है। प्रार्थी को रास्ता रोकने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी द्वारा रास्ते में कोट करने हेतु डाले गये पत्थरों को हटा लें अन्यथा ग्राम पंचायत से रास्ते में डले हुए पत्थरों को जप्त करवा दिया जायेगा। प्रार्थी आम रास्ते को अवरूद्ध नहीं करे। जिससे आमजन को परेशानी न हो सके। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन एवं चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:42:54 IST
Reason: SelfAttested

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner